भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 926

दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

भारत में लिंग अनुपात में सुधार

926. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री एल. एस. तेजस्वी सूर्या:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के लिंग अनुपात में सुधार लाने में किन-किन कारकों का योगदान रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के नवीनतम डेटा में दर्शाया गया है; और

(ख) इस बेहतर लिंग अनुपात के भारत की जनसांख्यिकीय गतिशीलता, सामाजिक-आर्थिक विकास की लैंगिक समानता के संदर्भ में व्यापक प्रभाव क्या हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क): 2019-2021 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की कुल आबादी का लिंग अनुपात 2015-16 (एनएफएचएस -4) में 991 से बढ़कर 2019-21 में 1020 हो गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,037 महिलाएं) शहरी क्षेत्रों(प्रति 1,000 पुरुषों पर 985 महिलाएं) की तुलना में बेहतर है। यह पिछली शताब्दी में भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, साथ ही स्वतंत्र भारत में आज की तारीख तक का सर्वाधिक है। सरकार द्वारा की गई कई पहलों ने लिंग अनुपात में सुधार में योगदान दिया है, जिसमें बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए संकेंद्रित दृष्टिकोण शामिल है। इसने पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव करके लड़कियों को परिवार और समाज के मूल्यवान सदस्यों के रूप में देखने की उस धारणा को बदलने में मदद की है जो पहले बालिकाओं को एक बोझ के रूप में मानती थी ।

प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम) भ्रूण के लिंग का पता लगाने और इसका खुलासा करने के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानूनी ढांचा है, अन्यथा यह कन्या भ्रूण हत्या में सहायक हो

जाएगा। 2015 में शुरू की गई भारत सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), सोशल मीडिया सहित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक मीडिया के कई रूपों का उपयोग करते हुए जन संचार अभियान का लाभ उठाती है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोककर और और उसकी सूचना देकर, बालिकाओं के जन्म का जश्न मनाकर और उनकी शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहित करके और सुविधाजनक बनाकर बालिकाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बहु-क्षेत्रीय कार्यकलाप किए जा सकें। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने लड़कियों के भविष्य में वित्तीय निवेश को प्रोत्साहित किया है। समग्र शिक्षा, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत किफायती और गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान, महिला वैज्ञानिकों के लिए योजनाएं आदि जैसी योजनाओं ने भी व्यवहार परिवर्तन की दिशा में योगदान दिया है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।

(ख): लिंग अनुपात में सुधार के रुझान समाज में सार्वजनिक, घरेलू और संस्थागत स्थानों में बेहतर लिंग संतुलन में, लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास में निवेश में वृद्धि में, लड़कियों की बुलंद आवाज एवं पसंद और सामाजिक-राजनीतिक स्थान और आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी में योगदान करते हैं। यह लड़कियों की बेहतर शैक्षिक स्थिति और सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक बदलाव का भी एक संकेतक है, जो परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के कुछ रूपों जैसे दहेज, बाल विवाह आदि को कम करने में योगदान देता है। यह लिंग-चयन और कन्या भ्रूण हत्या में गिरावट को दर्शाता है और महिलाओं और लड़कियों में उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में बढ़ती जागरूकता का एक अप्रत्यक्ष संकेतक है। एक स्वस्थ लिंग अनुपात में दुल्हन की कीमत, तस्करी जैसी सामाजिक प्रथाओं को कम करने की क्षमता भी है, जो बेहद विषम लिंग अनुपात और गरीबी के उच्च स्तर की स्थितियों में होती हैं।

*****